



# कैटीन भंडार विभाग के कार्यचालन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



संघ सरकार  
(रक्षा सेवाएं-थल सेना)  
2016 की प्रतिवेदन संख्या-38  
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

कैंटीन भंडार विभाग के कार्यचालन

पर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

( रक्षा सेवाएं-थल सेना )

2016 की प्रतिवेदन संख्या-38

( निष्पादन लेखापरीक्षा )

## विषय सूची

| पैराग्राफ संख्या | विवरण   | पृष्ठ संख्या |
|------------------|---|--------------|
|                  | प्रस्तावना  | v            |
|                  | कार्यकारी सारांश  | vii-xiii     |
| <b>I</b>         | <b>अध्याय I - परिचय</b>   | <b>1-5</b>   |
| 1                | परिचय   | 1            |
| 1.1              | संगठनात्मक संरचना   | 2            |
| 1.2              | सीएसडी का व्यापार संचालन एवं नेटवर्क  | 3            |
| 1.3              | लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र   | 3            |
| 1.4              | लेखापरीक्षा का उद्देश्य   | 4            |
| 1.5              | लेखापरीक्षा के मापदंड   | 4            |
| 1.6              | लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली   | 5            |
| 1.7              | आभार  | 5            |
| <b>II</b>        | <b>अध्याय II - व्यापारिक प्रचालन</b>  | <b>6-15</b>  |
| 2                | व्यापारिक गतिविधियाँ  | 6            |
| 2.1              | वस्तुओं की प्रस्तावना   | 6            |
| 2.1.1            | आयातित वस्तुओं की प्रस्तावना  | 7            |
| 2.2              | बेस डिपो मुम्बई की अनार्थिक कार्यचालन   | 8            |
| 2.2.1            | बेस डिपो के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन के कारण सीएसडी उपभोक्ताओं पर कर का अतिरिक्त बोझ                         | 9            |
| 2.2.2            | इन्टर डिपो हस्तांतरण (आईडीटी) के फार्म 'एफ' के विलंब से प्राप्ति के परिणामस्वरूप वॉट वापसी दावों में रूकावट आना | 10           |
| 2.2.3            | आपूर्तिकर्ताओं से बकाया किराया रियायत की वसूली न हो पाना  | 11           |
| 2.2.4            | ₹ 6.12 करोड़ के लागत से प्राप्त की गई जमीन का प्रयोग न किया जाना  | 11           |
| 2.3              | सीएसडी कीसूचीबद्ध वस्तुओं से एरिया डिपो का अनभिज्ञ होना   | 12           |
| 2.3.1            | इन्कार का उच्च प्रतिशत  | 13           |
| 2.4              | एकीकृत कैटीन भंडार विभाग पद्धति को संपूर्ण होने में अत्यधिक विलंब   | 14           |
| <b>III</b>       | <b>अध्याय III - मूल्य निर्धारण नीति तथा वस्तुओं की गुणवत्ता</b>   | <b>16-29</b> |
| 3                | मूल्य निर्धारण नीति   | 16           |
| 3.1              | अनुचित तरीके से वस्तुओं/चीजों की कीमतों का निर्धारण किया जाना   | 16           |
| 3.1.1            | क्लियरिंग प्रभार  | 17           |
| 3.1.2            | सीएसडी में शराब की कीमतों के निर्धारण में अनियमितता   | 18           |
| 3.2              | कीमत के संशोधन में अनियमितता के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ   | 21           |
| 3.2.1            | कीमत में विभिन्नताओं को निगरानी करने के लिए तंत्र का अभाव   | 21           |
| 3.2.2            | आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित मूल्यों की गिरावट को कार्यवृत्त करने में विलंब                                 | 22           |

|           |  |              |
|-----------|--|--------------|
| 3.2.3     | सीएसडी का मूल्यों में गिरावट/वस्तुओं को एक से एक प्रतिस्थापन की मंजूरी प्रदान करने में विलंब | 23           |
| 3.3       | गुणवत्ता नियंत्रण  | 24           |
| 3.3.1     | निर्धारित समय-सीमा में खाद्य एवं शराब की वस्तुओं का परीक्षण न किया जाना                      | 25           |
| 3.3.2     | पुष्टिकारक परीक्षण के बिना सामान्य भंडार वस्तुओं का ग्रहण किया जाना                          | 26           |
| 3.3.3     | तुलनात्मक परीक्षण किए बिना सामान्य भंडार वस्तुओं का मंजूरीकरण                                | 27           |
| 3.3.4     | प्रायोजित आयु कि सत्यता को जाँचे बिना यूआरसी को वस्तुएँ जारी करना                            | 28           |
| <b>IV</b> | <b>अध्याय IV - वित्तीय संचालन</b>  | <b>30-50</b> |
| 4         | वित्तीय रिपोर्टिंग   | 30           |
| 4.1       | टर्नओवर व लाभप्रदता  | 30           |
| 4.2       | कुछ मदों के संबंध में लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण न किया जाना                               | 31           |
| 4.3       | बकाया विविध लेनदार एवं देनदार  | 31           |
| 4.3.1     | विविध लेनदारों का गलत लेखांकन  | 31           |
| 4.3.2     | खातों में विविध देनदारों का गलत चित्रण   | 33           |
| 4.4       | आग/प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए हानि को वार्षिक लेखों में लेखांकन न किया जाना                | 34           |
| 4.5       | मात्रात्मक छूट (क्यूडी)  | 35           |
| 4.5.1     | उपभोक्ताओं के लिए मात्रात्मक छूट के लाभ को नकारना  | 35           |
| 4.6       | कैंटीन व्यापार अधिशेष (सीटीएस) से अनुदान सहायता की संवितरणी                                  | 36           |
| 4.6.1     | लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र पर विचार किए बगैर सीटीएस की संवितरणी                                  | 39           |
| 4.7       | सीएसडी द्वारा पेंशन तथा सेवा निवृत्ति के लाभों का अप्राधिकृत भुगतान                          | 41           |
| 4.8       | वॉट का प्रबंधन   | 43           |
| 4.8.1     | लंबे समय से बकाया वॉट वापसी दावे   | 44           |
| 4.8.2     | राज्य सरकारों द्वारा ₹ 43.47 करोड़ के वॉट वापसी दावों को अस्वीकृत किया जाना                  | 45           |
| 4.8.3     | वॉट रिटर्न के गलत प्रस्तुतीकरण के कारण दंड की उगाही  | 45           |
| 4.8.4     | वॉट अधिसूचना के अकार्यान्वयन के कारण ₹ 36.05 करोड़ का नुकसान                                 | 46           |
| 4.8.5     | वॉट की गैर वसूली के कारण हानि  | 47           |
| 4.8.6     | अतिरिक्त वॉट प्रभार एवं अपने ही निधि में सांविधिक उगाही का समायोजन                           | 48           |
| <b>V</b>  | <b>अध्याय V - आंतरिक नियंत्रण</b>  | <b>51-57</b> |
| 5         | आंतरिक नियंत्रण  | 51           |
| 5.1       | लेखा विधि तथा आंतरिक लेखापरीक्षा   | 51           |
| 5.1.1     | सहायक वाऊचरों के बिना लेखों का संकलन   | 51           |
| 5.1.2     | वार्षिक लेखों का प्रमाणन   | 52           |
| 5.1.3     | हितों में विवाद के परिणामस्वरूप कमज़ोर सतर्कता नियंत्रण                                      | 53           |
| 5.2       | स्मार्ट कार्ड को जारी करने पर नियंत्रण   | 53           |

कैंटीन भंडार विभाग के कार्यचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| 5.3       | स्थानीय बाज़ार के लिए सीएसडी भंडारों की चोरी  | 55           |
| 5.4       | निम्न प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यायोजित सीमा से अधिक शक्तियों का उपयोग करना                       | 56           |
| <b>VI</b> | <b>अध्याय VI - यूनिट रन कैंटीन की लेखापरीक्षा</b>   | <b>58-69</b> |
| 6         | यूनिट रन कैंटीन (यूआरसी) की लेखापरीक्षा   | 58           |
| 6.1       | मूल्य निर्धारण के मुद्दे – अधिक लाभ मार्जिन को भारित करना   | 59           |
| 6.2       | यूआरसी के द्वारा वॉट संबंधी मामलों में विसंगतियाँ   | 60           |
| 6.3       | मात्रात्मक छूट के लेखाकरण में अनियमितताएँ   | 61           |
| 6.3.1     | उच्चतर फार्मेशन को मात्रात्मक छूट का अनियमित हस्तांतरण तथा यूआरसी द्वारा गलत प्रयुक्ति प्रमाणपत्र | 62           |
| 6.3.2     | विभिन्न अनाधिकृत कार्यों के लिए मात्रात्मक छूट से व्यय करना                                       | 63           |
| 6.4       | अधिकृत मात्रा से अधिक शराब का आहरण किया जाना  | 64           |
| 6.5       | यूआरसी में सेवा कार्मिकों की तैनाती   | 65           |
| 6.6       | यूआरसी द्वारा आवासों के किरायों का भुगतान न करना  | 66           |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | <b>अनुलग्नक</b>   | <b>71-79</b> |
|  | अनुलग्नक “ए” इस रिपोर्ट के पैरा 1.3 में संदर्भित            | 71           |
|  | अनुलग्नक “बी” इस रिपोर्ट के पैरा 4.6.1 में संदर्भित         | 72           |
|  | अनुलग्नक “सी” इस रिपोर्ट के पैरा 4.8 में संदर्भित           | 73           |
|  | अनुलग्नक “डी” इस रिपोर्ट के पैरा 2.2 एवं 4.8.1 में संदर्भित | 74           |
|  | अनुलग्नक “ई” इस रिपोर्ट के पैरा 6.1 में संदर्भित            | 75           |
|  | अनुलग्नक “एफ” इस रिपोर्ट के पैरा 6.3.1 में संदर्भित         | 76           |
|  | अनुलग्नक “जी” इस रिपोर्ट के पैरा 6.3.1 में संदर्भित         | 77           |
|  | अनुलग्नक “एच” इस रिपोर्ट के पैरा 6.3.1 में संदर्भित         | 78           |
|  | अनुलग्नक “आई” इस रिपोर्ट के पैरा 6.5 में संदर्भित           | 79           |
|  | <b>संक्षिप्तियाँ</b>  | <b>80-84</b> |